

224  
248  
22/निग 0/रीवा/2018/0050

समक्ष माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0) RS301-



1. सम्पत्ति कोरी पिता स्व0 रामदुलारे कोरी, उम्र 48 वर्ष,
2. शान्ती देवी कोरी पति स्व0 रामदुलारे कोरी, उम्र 77 वर्ष,  
दोनों निवासी-ग्राम लेडुआ, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा  
(म0प्र0) .....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. बेवा रामरती पति रामकृपाल
2. मुन्ना लाल कोरी पिता रामकृपाल
3. रामदास कोरी पिता रामकृपाल
4. रामसुमिरन कोरी पिता रामकृपाल  
सभी निवासी-ग्राम लेडुआ, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा  
(म0प्र0)
5. शासन मध्यप्रदेश द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा .....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय  
श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील  
रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के  
राजस्व प्रकरण क्र0-39अ6अ/16-17  
में पारित आदेश दिनांक  
10/10/2017।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं-

1. यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान के समक्ष ग्राम लेडुआ, पटवारी हल्का सुरसा, रा0नि0म0 मनिकवार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा की आ0नं0 26/2, 30/2, 177/2,

28-12-17  
श्रीधर शर्मा  
श्रीधर शर्मा  
28-12-17

224

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/सिमा/18/0050/12/11 जिला रीवा

सहपति करी विरुद्ध रामलाल वर्मा

1	2	3
	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <del>बृजेश कुमार सिंह</del> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/नायब तहसीलदार तहसील <del>राजपुरा</del> कचुवा के प्रकरण क्रमांक <del>39/2016/16-17</del> में पारित आदेश दिनांक <del>10-10-2017</del> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <del>रीवा</del> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <del>29-3-19</del> को कलेक्टर <del>रीवा</del> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य